मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः12.04.2025

थाना कछवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम खैरा चौराहा पर युवक के पैर में गोली मारने के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार व कब्जे से अबैध तमंचा, खोखा व जिन्दा कारतूस बरामद-

थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 10.04.2025 को थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत ग्राम खैरा चौराहा पर मनीष पाण्डेय पुत्र राकेश पाण्डेय निवासी खैरा थाना कछवां जनपद मीरजापुर को पुरानी रंजिश को लेकर पैर में गोली मारने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-47/2025 धारा 3(5)/109/131/352/351(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन वर्मा" द्वारा उपरोक्त अभियोग में संलिप्त अभियुक्तो की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी कछवा को आवश्यक निर्देश दिया गया । आज दिनांक 12.04.2025 को थाना कछवा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम खैरा में मुरत्रावीर मंदिर के पास दबिश दी गयी इस दौराने मुठभेड़ में घटना उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों को आत्मसमर्पण की चेतावनी देने बाद अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी तिलंगा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी व अमित नेपाला पुत्र बच्चा सिंह निवासी कुशहा थाना कोतवाली चुनार को गिरफ्तार किया गया। मौके से अभियुक्त विवेक के पास से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त अमित नेपाला के पास एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद खोखा, 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तारी /वरामदगी के संबंध में थाना कछवा पर मु0अ0सं0 50/2024 धारा 109 वीएनएस व 3/25 आर्म एक्ट बनाम अमित नेपाला व विवेक के पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. विवेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी तिलंगा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष
2. अमित नेपाला पुत्र बच्चा सिंह निवासी कुशहा थाना कोतवाली चुनार उम्र 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-47/2025 धारा 3(5)/109/131/352/351(2) बीएनएस व 7 सीएल एक्ट थाना कछवां मीरजापुर

आपराधिक इतिहास- (विवेक सिंह)

1.मु0अ0सं0-31/22 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना कछवां मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-194/20 धारा 147/148/323/452/504/506 भा0द0वि0 थाना कछवां मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0 240/17 धारा 302 भा0द0वि0 थाना कछवां मीरजापुर।
4.मु0अ0सं0-267/17 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 थाना कछवां मीरजापुर।
5.मु0अ0सं0 – 50/25 धारा 109 बीएनएस 3/25 आर्म्स अधि0 थाना कछवां मीरजापुर।
6. मु0अ0सं0 –117/18 धारा 42 कारागार अधि0 थाना कैंट वाराणसी
7. मु0अ0सं0 –205/14 धारा 3/25 आर्म्स अधि0 थाना शिवपुर वाराणसी

बरामदगी विवरण-

एक अदद अवैध तमंचा 12बोर 01अदद खोखा 1अदद जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास- (अमित नेपाला)

1.मु0अ0सं0-04/20 धारा-323, 427, 504, 506 भा0द0वि0
2.मु0अ0सं0 – 50/25 धारा 109 बीएनएस 3/25 आर्म्स अधि0

बरामदगी विवरण—

एक अदद अवैध तमंचा 12बोर 01अदद खोखा 2 अदद जिन्दा

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान, दिनांक व समय—

बहद ग्राम खैरा मुरत्रावीर मंदिर व फासला 09 किमी0 पूरब , दिनांक 12.4.25 को समय 5.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

उ0नि0 गिरधारी सिंह चौकी प्रभारी खैरा थाना कछवा मीरजापुर।

उ0नि0 साहिद यादव, उ0नि0 लोकनाथ यादव, हे0का0 सुरेन्द्र यादव, हे0का0 रामचन्द्र राम, हे0का0 विनय यादव, हे0का0 रामशवद राम, हे0का0 नरेन्द्र यादव, का0 रोहित पाल थाना कछवां जनपद मीरजापुर।